भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 741239

कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र

सचिव, नवयुग कन्या विद्यालय,सोसाइटी, राजेन्द्र नगर, लखनऊ...

विजय नारायण गुप्ता पुत्र श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, निवासी – 155/15 क, मौलवीगंज, लखनऊ ....द्वितीय पक्ष

1. प्रथम पक्ष कैन्टीन लगाने का स्थान नवयुगकन्या महाविद्यालय परिसर के अन्दर द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहा है।
2. महाविद्यालय द्वारा कैम्पस के अन्दर जो स्थान उपलब्ध कराया जायेगा उसमें द्वितीय पक्ष द्वारा कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष कैन्टीन किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन में जो भी सामग्री रखी जायेगी उसकी मूल्य सूची कैन्टीन के बाहर लगायेगा एवं उसकी एक प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
5. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं कैन्टीन सामग्री की सुरक्षा पर द्वितीय पक्ष पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा एवं कूड़े की सफाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करानी होगी।
6. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में अनुशासन बनाये रखेगा तथा उसे प्रथम पक्ष द्वारा महाविद्यालय स्थान के अतिरिक्त केवल पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन प्रारम्भ से पूर्व रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि सचिव, नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी के पक्ष में जमा कराना होगा। जो कि कैण्टीन खाली करने पर वापस किया जायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय न होगा।
8. द्वितीय पक्ष को वार्षिक कैन्टीन का किराया रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) मात्र देना होगा। इसमें प्रतिभूति राशि सम्मिलित नहीं है। उक्त धनराशि रूपये 20000.00 माह जुलाई,2014 के प्रथम सप्ताह में तथा रू0 15,000.00 अगस्त,2014 के प्रथम सप्ताह में तथा शेष धनराशि रू0 15,000.00 माह सितम्बर,2014 के प्रथम सप्ताह में जमा कराना होगा। यदि किन्ही कारणों वश पैसा सही समय से नहीं जमा होगा तो उस स्थिति में 15% प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज देय होगा।

क्रमशः.......2 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AV 741238

भारतीय गैर न्यायिक एक सौ रूपये के मूल्य के स्टैम्प पर संख्या :ए0वी0 741238,741239 दिनांक 30.06.2014 के कम संख्या 23855 पर कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र के कमांक 08 से आगे..

9. बिजली व्यय हेतु महाविद्यालय द्वारा नया सब मीटर लगाया जायेगा। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोग किये गए यूनिट कामर्सियल दर के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान करना होगा।
10. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थित नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे छात्राओं, महाविद्यालय स्टाफ को कोई परेशानी हो तथा यह कैन्टीन केवल महाविद्यालय के लिये है। अतः बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा।
11. कैटीन में कार्यरत् कर्मियों का फोटो प्राचार्या द्वारा प्रमाणित होगा और उसे वह महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखेगा।
12. उपरोक्त किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार का किरायेदारी विवाद होने पर प्रबन्धसमिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह अनुबन्ध जुलाई,2014 से जून,2015 तक किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्ण होने पर यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष,

सचिव,
नवयुग कन्या विद्यालय,सोसाइटी
लखनऊ।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
विजय गुप्ता

1- Kaushal Kumar
98- Mahesh Prasad Street
Maulvi ganj, LKO

उक्त अनुबन्ध पत्र मेरे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

गवाह नं0–01
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।
Kaushal Kumar
98. Mahesh Prasad Street
Maulviganj
Lucknow

गवाह नं0–02
हस्ताक्षर पूरा पता सहित ।
ASHISH KUMAR GUPTA
155/15 M.P. STREET
MOULVIGANJ, LKO